

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2020—श्रावण 9, शक 1942

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्रमांक बी-8-21-2020-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 28 फरवरी 2020 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्र. 226, दिनांक 14 जुलाई 2020 को जारी की जा चुकी है. संलग्न सूची अनुसार जिला खरगोन में आंशिक संशोधित पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों के लिये एवं स्केल ऑफ फायनेंस में जिला सागर हेतु तुअर ऋणमान हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची

निम्नलिखित पटवारी हल्कों में संशोधन जारी किया जाता है.

मौसम	खरीफ	वर्ष	2020	पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की सूची							
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्राम का नाम	धान-सिंचित	धान-असिंचित	सोयाबीन	तुअर	बाजरा	मक्का
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
खरगोन	महेश्वर	रंगवासा	23	महेश्वर	महेश्वर						मक्का
खरगोन	कसरावद	रंगवासा	70	पीपलगोन	पिपलगोन, शिवरामपुरा, नादिया, खमलाय.			सोयाबीन			

स्केल ऑफ फायनेंस (ऋणमान) खरीफ वर्ष 2020 (राशि रु. में)

क्र.	जिला	अरहर (तुअर)	बैठक दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
4	सागर	24000	27-01-2020